

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियरसमक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3850 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.08.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 42/अपील/2016-17.

मोहनलाल यादव आ. बाबूलाल यादव

निवासी ग्राम टेमलाकलां, तह. सिवनीमालवा,

जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन (खनिज विभाग), होशंगाबाद

.....प्रत्यर्थी

श्री एन.के. तिवारी, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/4/19 को पारित)


अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 31.08.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत टेमलाकलां एवं समस्त ग्रामवासी, टेमलाकलां व धमासा द्वारा दिनांक 15.05.2015 को लिखित शिकायत आवेदन पत्र कलेक्टर, होशंगाबाद को प्रस्तुत की गई कि ग्राम टेमलाकलां में शासकीय बड़े झाड़ की भूमि जो कि मवेशियों के निस्तार की भूमि है, उपरोक्त भूमि पर ग्राम के दबंग श्री मोहनलाल आ. श्री बाबूलाल यादव द्वारा पिछले 2 वर्षों से जे.सी.बी. मशीन के द्वारा लाल मुरम को अवैध खनन कर विक्रय किया जा रहा है। उक्त अवैध उत्खनन रूकवाने तथा अपीलार्थी को दण्डित करने का निवेदन किया गया। शिकायत पत्र कलेक्टर द्वारा जांच कार्यवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, डोलरिया को प्रेषित किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 8281/बी-121/2014-15 दर्ज कर मौका

स्थल संयुक्त रूप से खनि. निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार एवं उपस्थित पंचों के साथ निरीक्षण कर मौका नाप, पंचनामा आदि की कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2015 को कलेक्टर, खनिज शाखा, होशंगाबाद को प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 247 के तहत अपीलार्थी श्री मोहनलाल यादव के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 97/अ-67/2015-16 दर्ज कर दिनांक 26.04.2016 को आदेश पारित किये जाकर संहिता की धारा 247(7) का स्पष्ट उल्लंघन अपीलार्थी द्वारा किये जाना मानते हुए गौण खनिज मुरम 4280 घनमीटर का अवैध रूप से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उत्खनन किये जाने से रूपये 42,80,000/- के अर्थदण्ड से अपीलार्थी को दण्डित व राशि की वसूली हेतु आदेशित किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 31.08.2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह तथ्य देखा जाना था कि अपीलार्थी मोहनलाल एवं सरपंच सुमेरसिंह के मध्य सरपंच चुनाव को लेकर रंजिश है, जिसमें सरपंच के द्वारा इस अपीलार्थी के विरुद्ध 341, 294, 506, 427, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कराने से रंजिश प्रमाणित होती है, जिसके द्वारा दिनांक 26.09.2015 को जनसुनवाई में अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ लोगों को प्रभाव में लेकर उनके नौकर चाकरों से उक्त शिकायत में हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किये।
- (2) सरपंच टेमलाकलां के आवेदन में अपीलार्थी दो वर्षों से मुरम निकालने का उल्लेख किया है, जबकि प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2015 में 15 दिवसों से उत्खनन किया जाना बताया है। 4280 घनमीटर मुरम 15-20 दिनों में निकाला जाना अस्वभाविक है।
- (3) प्रतिवेदन पंचनामा दिनांक 26.09.2015 में मोहनलाल के अलावा शंकरलाल यादव के डम्फर तथा राजेश वल्द सत्यनारायण के ट्रेक्टर से अवैध रूप से अन्य स्थानों पर परिवहन किया गया। परिवहन में दिनेश पिता शंकरलाल यादव धमासा के ट्रेक्टर से किया था, का लेख अंकित है, जिनके न तो ट्रेक्टर जप्त हुई और न ही जे.सी.बी. जप्त हुई है और न ही




उल्लेखित लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, मात्र मोहनलाल के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जो मात्र राजनैतिक द्वेषता किया जाना प्रगट है।

- (4) अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष जवाब के समर्थन में 11 व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनका निष्कर्ष पारित आदेश में नहीं किया गया मात्र एक शिकायती आवेदन पर विचार कर अपीलार्थी को दण्डित किया जाना विधि विरुद्ध है।
- (5) ग्राम धमासा में खनिज विभाग द्वारा मुरम उत्खनन हेतु कभी किसी को परमिशन नहीं दी गई। अर्थात् शासन के द्वारा उक्त धमासा की मुरम खदान को वाणिज्य घोषित कभी नहीं किया गया।
- (6) ग्राम धमासा में मुरम खदान से मुरम कई वर्षों से कई ग्रामीणों के द्वारा घरेलू उपयोग के लिए निकाले जाने की लगभग प्रथा रही है, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध पंचनामा दिनांक 26.09.2015 में उल्लेखित उत्खनन करने वाले नामों से प्रमाणित है।
- (7) अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के द्वारा धारा 47(7) के अंतर्गत तथाकथित मूल रायल्टी 2,14,000/- एवं बाजार मूल्य 10,70,000/- रुपये प्रतिवेदन में उल्लेखित को आधार मानकर अपीलार्थी को बिना किसी निष्कर्ष बिना किसी दण्ड निर्धारण के अपीलार्थी को 42,80,000/- रुपये से दंडित किया जाना विधिसम्मत न होने से पारित आदेश के तथ्य को देखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है।
- (8) अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के आदेश दिनांक 26.04.2016 के पैरा 3 में उल्लेख किया है कि समस्त ग्रामवासी गाम टेमलाकलां व धमासा के द्वारा जनसुनवाई के दौरान शिकायत की, जो दोनों गांव की जनसंख्या करीब 10 हजार है, जबकि शिकायत पर 15 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिसके जवाब में अपीलार्थी द्वारा 11 व्यक्ति के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिसका निष्कर्ष नहीं निकालकर गंभीर भूल की गई है।
- (9) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक डोलरिया के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में खसरा नंबर 125 एवं खसरा नंबर 126 पर अवैध उत्खनन उल्लेखित किया गया है, जो 1.25 एकड़ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसके अवलोकन से उत्खनन का खसरा नंबर क्या है, प्रमाणित नहीं होता है, जिसे भी देखे जाने में भूल की गई है।
- (10) आयुक्त के समक्ष विचाराधीन अपील में शिकायतकर्ता सरपंच सुमेरसिंह टेमलाकलां द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत कर की गई कार्यवाही लोगों के द्वारा बनाये गये आवेदन पर अनुशांसा




बतौर की गई कार्यवाही के तथ्य का समर्थन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 40 पंचायत अधिनियम की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये। अर्थात् शिकायतकर्ता एवं अपीलार्थी दोनों को दंडित किया जाना विधि के विरुद्ध है।

(11) आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 49(3) के अंतर्गत प्रस्तुत कर संबंधित व्यक्तियों को प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाये जाने का अनुरोध किया तथा अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर सुमेरसिंह सरपंच का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उक्त दोनों आवेदनों को निरस्त किया गया तथा उसमें संलग्न शपथ पत्र को मान्य कर सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(12) कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अधिवक्ता को नियुक्त किया था, जिसमें वह उसके अधिवक्ता पर निर्भर था, जिसमें अधिवक्ता की अनुपस्थिति से प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका, जिसके लिए अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अतः उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से दिनांक 10.01.2017 को सुमेर सिंह का शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत करना कि उसके द्वारा कोई अवैध उत्खनन व परिवहन का कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी तहसीलदार/खनि निरीक्षक होशंगाबाद, राजस्व निरीक्षक डोलरिया, हल्का पटवारी एवं अन्य पंचों के साथ संयुक्त रूप से की गई स्थल जांच में अवैध उत्खनन किया जाना पूर्णतया सिद्ध पाया गया था। यह शपथ पत्र न्यायालय की अवमानना का कृत्य व अनुचित रूप से अपने असफल बचाव का प्रतीक है, क्योंकि पूर्व में शिकायतकर्ता ने तहसील न्यायालय व कलेक्टर न्यायालय में स्वयं से ही शिकायत के तथ्यों को प्रमाणित करने वाले बयान दिये थे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस शपथ पत्र की संदग्धिता व शपथकर्ता श्री सुमेरसिंह भाटी सरपंच की मिलीभगत को उजागर करता है। अतः आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई तथा आयुक्त एवं कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरुद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-


"धारा 44(2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं।"




उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 स्थिर रखा जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।


सीडी


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर